

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांकC/6785/

जबलपुर, दिनांक 4 / 11 / 2025

दो-14-178 / 24

श्री विशाल कुमार, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को पारिवारिक समारोह (Chhath puja and ekadashi) होने का कारण दिनांक 27.10.2025 से 04.11.2025 तक 9 दिन का अर्जित अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांकC/6786/

जबलपुर, दिनांक 4 / 11 / 2025

दो-14-178 / 24

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/प्रशासन/अवकाश/2260 इंदौर दिनांक 10.10.2025 के संदर्भ में श्री विशाल कुमार, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर के निर्धारित प्रपत्र दिनांक 26.09.2025 को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित,
3. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)